न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 110/2022 (GCMS No. 2022/294)

1. बबीता देवी पत्नी पुरूषोतम जाति मेघवाल निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. सपना पुत्री पुरूषोतम जाति मेघवाल निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
3. लोकेश पुत्र पुरूषोतम नाबालिग जरिये कुदरती माता बबीता देवी पत्नी पुरूषोतम जाति मेघवाल निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. सौरभ पुत्र पुरूषोतम नाबालिग जरिये कुदरती माता बबीता देवी पत्नी पुरूषोतम जाति मेघवाल निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

— प्रार्थीगण

बनाम

1. मीना पत्नी लिछमण जाति नायक निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. सुमन पुत्री लिछमण पत्नी सुनिल जाति नायक निवासी जाखड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3. शिशपाल पुत्र रामदेवा जाति नायक निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. सुभाष पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. सुरेन्द्र पुत्र सन्तरा पुत्री रामदेवा जाति नायक निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. सुनिता पुत्री सन्तरा पुत्री रामदेवा पत्नी जाति नायक निवासी देपालसर तहसील व जिला चूरू।
7. शंकर पुत्र ज्यानी पुत्री रामदेवा जाति नायक निवासी लोहसना तहसील व जिला चूरू।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी —श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी —

निर्णय

दिनांक 11.12.2024

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में भूमि ख.न. 1056 रकबा 1.06 हैक्टर अवस्थित है जो आवेदकगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसको आवेदकगण संयुक्त रूप से काश्त करते है। इसी प्रकार ग्राम सोनासर में भूमि ख0न0 1053, 1054, 1055 कुल किता 3

47

[redacted] 1.30 है0 भूमि है जो अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी [redacted]कारी की भूमि है। आवेदकगण, अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 के खेत की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अपने खेत में ऊंट गाडा टैक्टर ट्राली वगैरह लाते ले जाते रहे हैं। उक्त रास्ते बाबत पहले कभी विवाद नहीं रहा है। आवेदकगण अपनी भूमि में जाने के लिये सोनासर से पीपल का बास जाने वाली ग्रामीण सड़क से ख.न. 1052 ख.न. 1053 व ख.न. 1055 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु ए. से बी. आते जाते रहे हैं। इसलिये भविष्य में उक्त रास्ते बाबत किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो तथा आवेदकगण को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिये उक्त रास्ता नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित बिन्दुं ए. से बी. 12 फुट चौड़ाई का राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर आवेदकगण को दिलवाया जाना न्याय संगत है। आवेदकगण उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार उचित प्रतिफल अदा करने के लिये तैयार हैं। आवेदकगण के आवागमन के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अनावेदकगण आवेदकगण को अपनी भूमि तक जाने के लिये आनाकानी कर रहे है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख.न. 1056 रकबा 1.06 हैक्टर में जाने के लिये अनावेदकगण नं. 1 लगायत 7 की भूमि ख.न. 1052, 1053, 1055 की पश्चिम सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु ए से बी 12 फुट चौड़ा रास्ता सोनासर से पीपल का बास जाने वाली ग्रामीण सड़क से राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट ममता वर्मा ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब पेश नहीं किया। जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद भूमि जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अनावेदकगण संख्या 4 से 7 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1545 दिनांक 18.10.2024 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक की भूमि में पहुंच हेतु राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। रास्ते की आत्यांतिक

47

…ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए बी तर्फ की कुल लम्बाई 100 मीटर है जो पहुंच के लिए लघुतम मार्ग है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता है इसलिये उक्त रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 1056 में आने जाने हेतु ख0न0 1052, 1053, 1055 में नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि ख0न0 1056 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है आवेदकगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 1056 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 1052, 1053, 1055 की सीमा के सहारे–सहारे तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी तक का 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 1052, 1053, 1055 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदकगण से वसूल कर ख0न0 1052, 1053, 1055 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर